(1)

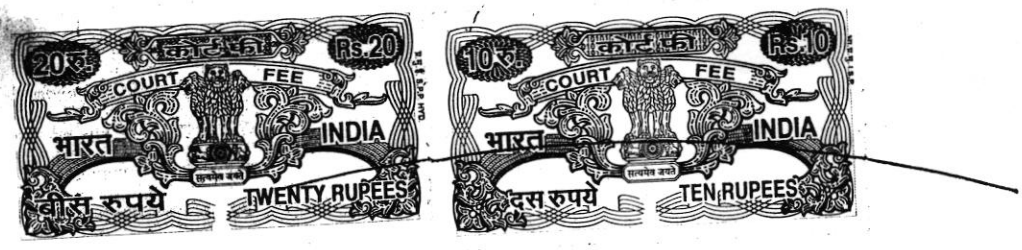

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

R 3892 – I – 16

रमेश प्रताप सिंह पुत्र पंचमसिंह,
निवासी विधायक कॉलोनी,
लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0)
—— आवेदक

बनाम

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह
2– जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह
3– धरम सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह
4– सुशीला वेवा मातादीन,
5– भूपेन्द्र सिंह श्री मातादीन
निवासीगण–लवकुशनगर,
जिला छतरपुर (म0प्र0)
—— आवेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक राजेन्द्र कुमार द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के समक्ष भूमि खसरा क्रमांक 649/2/2/1 रकवा 0.048 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक मण्डल लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 15/अ–12/2015–16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 08.07.2016 को सीमांकन आदेश पारित किया।

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

जिला - छतरपुर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3892-एक/2016 रमेश प्रताप विरूद्ध राजेन्द्र एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित । आपत्तिकर्ता अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । उभय पक्ष को ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-07-2016 के विरूद्ध इस न्यायलाय में प्रस्तुत की गई है। 1. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन प्रक्रिया की सूचना आवेदक व उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दी गई। उक्त सीमांकन बिना किसी हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिये कराया गया है जो विधि विपरीत है। यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, ना ही वह सीमांकन के समय वहां उपस्थित था। प्रकरण में आवेदक व अन्य पड़ोसी काश्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। 2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि व उसके साथ संलग्न सूचना पत्र व पंचनामा का अवलोकन किया गया। सूचना पत्र दिनांक 29-06-2016 देखने से प्रतीत होता है कि सूचना पत्र भेजा गया था, जिस पर टीप अंकित की गई है कि निगरानीकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर से इंकार किया गया है। पंचनामा अनुसार सीमांकन के दौरान आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन अन्य सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा हैं।	

3. निगरानी आवेदक के अवलोकन के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका व अभिलेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता को छोड़कर अन्य सरहदी भूमिस्वामी सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा भी किये गये हैं। निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा उसके नाम के समक्ष नहीं है । सीमांकन के पंचनामा पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है ।
4. राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में परमानन्द विरूद्ध रानीदेवी 1978 आर.एन. 393, राजधानी वि म्यूनिसिपल विरूद्ध म्यूनिसिपल कमेटी, अम्बाह 1970 स.नि. 593 में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है कि धारा 129 एमपीएलआरसी के अधीन की गई कार्यवाही प्रशासकीय है, उससे कोई विनिश्चय नहीं होता है। सामान्यत: कुछ आवश्यक परिस्थितियों, यथा परिवर्तन बंटवारा, स्वयं की भूमि पर दूसरे का अतिक्रमण, विक्रय के समय इत्यादि में ही कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमांकन नियमानुसार फीस जमा कराकर कराता है। अपनी भूमि का सीमांकन कराना भूमिस्वामी का अधिकार है, जिससे किसी भूमिस्वामी को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि समीपस्थ काश्तकार को सूचना नहीं दी गई थी या वह अनुपस्थित था अथवा उसके द्वारा सीमांकन पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं
5. स्वरूपाबाई विरूद्ध दशरथसिंह 1988 आर.एन. 105 एवं रामसुशील शर्मा विरूद्ध हरिभजन तिवारी 2010 आर.एन. 259 में निर्धारित किया गया है कि पड़ोसी काश्तकार को सीमांकन की सूचना आवश्यक रूप से दी जाये, किन्तु यदि सीमांकन पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया हो या एक पक्षकार कार्यवाही पर हस्ताक्षर से मना कर दे, तब यह नहीं माना जा सकता है कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया है। (जगदीशसिंह विरूद्ध जगदीशसिंह 1987 आर.एन. 391)
6. उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गये सीमांकन का क्रियान्वयन तीन माह के लिए

स्थगित करते हुए निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी भूमि के सीमांकन हेतु इस आदेश की प्रति के साथ 15 दिवस की अवधि के अंदर सक्षम राजस्व अधिकारी को विधिवत आवेदन दें एवं ऐसा सक्षम राजस्व अधिकारी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 एवं उसके अंतर्गत बनाये नियमों का पालन करते हुये इस आदेश दिनांक से तीन माह की समय सीमा में सीमांकन करना सुनिश्चित करेगा।

7. निगरानीकर्ता के द्वारा 15 दिवस की अवधि में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को विधिवत आवेदन न करने की स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।
8. यह आदेश उभयपक्षों एवं सीमांकन के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी पर बंधनकारी रहेगा । इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी का निराकरण इसी स्तर पर किया जाता है ।

सदस्य 27/6